उत्तर प्रदेश शासन
चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग
संख्याः 232/ग0सु0अ0–72/वि.स.(कैम्प)/2017
लखनऊः दिनांकः 15 दिसम्बर, 2017

कार्यालय गन्ना आयुक्त उ0प्र0, लखनऊ 6192 19/12/17

आदेश

अवध शुगर एण्ड एनर्जी लि0, यूनिट रोजा शुगर्स वर्क्स, रोजा, जनपद–शाहजहाँपुर द्वारा उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम 1953 की धारा–15(4) सपठित नियम–23, उ0प्र0 गन्ना (आपूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 की धारा–15(4) एवं गन्ना नियंत्रण आदेश वर्ष 1966 के प्राविधान–11 (2) के अन्तर्गत गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 के सुरक्षण आदेश संख्या–92/सी/क्रय–सुर0/2017–18, दिनांक 28.10.2017 दि किसान सहकारी चीनी मिल समिति, तिलहर, जनपद–शाहजहाँपुर के क्रयकेन्द्र–मदनापुर–द्वितीय एवं नवादा रूद्रपुर को डी.एस.सी.एल. शुगर्स लोनी, जनपद–हरदोई को अभ्यर्पित करने के विरूद्ध अपील संख्या–72 दायर की गयी है। दोनों पक्षों को नोटिस जारी की गयी।

विवेचना

अपील संख्या–72 के निस्तारण के सम्बन्ध में दिनांक 29.11.2017 को दोनों पक्षकारों के साथ सुनवाई की गयी। अपीलार्थी चीनी मिल के पक्षकार द्वारा अध्यासी के दिनांकरहित पत्र प्रस्तुत करते हुए यह अवगत कराया गया कि गन्ना आयुक्त के सुरक्षण आदेश संख्या–92/ सी/क्रय–सुर0/ 2017–18, दिनांक 28.10.2017 के सम्बन्ध में गन्ना क्रयकेन्द्र– मदनापुर–द्वितीय एवं नवादा रूद्रपुर, जोकि दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0/समिति तिलहर, जनपद–शाहजहाँपुर के सुरक्षित क्रयकेन्द्र हैं और वर्तमान पेराई सत्र में डी.एस.सी.एल. शुगर्स लोनी, जनपद–हरदोई के पक्ष में अभ्यर्पित किये गये हैं, के विरूद्ध अपील संख्या–72 प्रस्तुत की गयी थी। अपीलार्थी किन्हीं कारणोंवश उक्त अपील संख्या–72 को आगे जारी रखना नहीं चाहता है। इस आधार पर अपीलार्थी चीनी मिल द्वारा उक्त अपील को इसी स्टेज पर वापिस लेने का अनुरोध किया गया है।

अपीलार्थी चीनी मिल द्वारा प्रस्तुत पत्र को संज्ञान में लेते हुए उक्त अपील संख्या–72 को निरस्त करते हुए गन्ना आयुक्त के सुरक्षण आदेश संख्याः 92/सी/क्रय–सुर0/2017–18, दिनांक 28.10.2017 में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं पायी गयी।

इस आधार पर अपील संख्या–72 एतद्द्वारा निस्तारित की जाती है।

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव/अपीलीय प्राधिकारी।

संख्या–232/ग0सु0अ0–72/वि0स0(कैम्प)/2017 तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अध्यासी, अवध शुगर एण्ड एनर्जी लि0, यूनिट रोजा शुगर्स वर्क्स, रोजा जनपद शाहजहाँपुर।
3. डी.एस.सी.एल. शुगर्स लोनी, जनपद–हरदोई।
4. सचिव/प्रधान प्रबन्धक, दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0/समिति, तिलहर, जनपद–शाहजहाँपुर।

आज्ञा से,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव/अपीलीय प्राधिकारी।

कृ0 website पर upload करें। 20.12.2017

2/2017-18